



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 16, बुधवार, शाके 1936-अक्टूबर 8, 2014
Asvina 16, Wednesday, Saka 1936-October 8, 2014

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 8, 2014

No. F. 2 (37) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 8th day of October, 2014 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND
PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2014
(Act No. 18 of 2014)**

[Received the assent of the Governor on the 8th day of October, 2014]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-C of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957),-

(i) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st August, 2014" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "rupees two thousand five hundred", the expression "rupees three thousand five hundred" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2014

संख्या प. 2 (37) विधि/2/2014.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 18 ऑफ 2014)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन)

(संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 18)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2014" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीन हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।